

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करीली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:-06/24

दाखल दिनांक:- 29.01.2024

जीसीएमएस नं. 2024/13

उनवान

रंगी पुत्र पांच्या जाति मीना निवासी मोठियापुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली
राजस्थान

—सायल

बनाम

रामकली बेवा धर्मे बेवा जाति मीना निवासी मोठियापुर तहसील हिण्डौन जिला
करीली राज0

—नैरसायलान-06

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 23-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान कास्टकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 29.02.2024 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 06/24 रंगीलाल बनाम रामकली आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायलय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली

